राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र / 2020 / 1248 दिनांक : 12/02/2021

कार्यवाही विवरण

राजस्थान आवासन मण्डल की "सम्पत्ति आवंटन समिति" की बैठक दिनांक 12–01–2021 को सांय 3:00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुएः–

1.	श्री भास्कर ए.सावंत	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोडा	आवासन आयुक्त, रा0आ0म0. जयपुर	सदस्य
3.	श्री लेखराज जागृत	निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर	सदस्य
4.	श्री नत्थू राम	अति0मु0 अभियंता–प्रथम, राज0आवा0मण्डल, जयपुर	सदस्य
5.	श्री के.एस. चौधरी	अति0मु0 अभियंता–द्वितीय, राज0आवा0मण्डल, जोधपुर	सदस्य
6.	श्री संजय पूनिया	अति0मु0 अभियंता–तृतीय, राज0आवा0मण्डल, जयपुर	सदस्य
7.	श्रीमती प्रीति सिंह पंवार	कार्यवाहक मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राज0आ0मं0, जयपुर	सदस्य सचिव

बैठक में विशेष आमन्त्रित निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित हुए :–

1. श्रीमती रेखा भास्कर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेधाधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
2. श्री सन्त सरण (प्रतिनिधि), अति. मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. श्री के.एस.ढ़ाका, उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर।
4. श्री के.एस. बुगालिया, उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, राज0आवा0मण्डल, जयपुर
5. श्री अमित अग्रवाल, उप आवासन आयुक्त, वृत–तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर / वत्त–अलवर।
6. श्री करणराज जींगर, उप आवासन आयुक्त वृत–द्वितीय, रा0आ0म0, जोधपुर।
7. श्री आर.एम.कुरैशी (प्रतिनिधि), उप आवासन आयुक्त, वृत–कोटा, रा0आ0म0, कोटा।
8. श्री जी.एस.भाटी (प्रतिनिधि), उप आवासन आयुक्त, वृत–उदयपुर।

मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 12–01–2021 के पूर्व में जारी कार्यवाही विवरण क्रमांक मुसप्र / 2020 / 1115 दिनांक 19–01–2021 में निम्न बिन्दु अंकित होने से रह गये थे। मण्डल द्वारा आवंटित दो मंजिले / तीन मंजिले फ्लेटों के पास उपलब्ध भू–पट्टी के आवंटन के साथ ही भविष्य में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में निम्न बिन्दु और जोड़े जाते है, जो कि कार्यवाही विवरण का ही भाग माना जावेगा।

निर्माण स्वीकृति की अवस्था में भू–पट्टी स्वामी द्वारा उस पर बहुमंजिला निर्माण करवाने की स्थिति में मण्डल द्वारा निर्मित फ्लेटों की निजता का हनन होने व भवन विनियमों के विरूद्ध अवैध निर्माण होने की सम्भवना है। निर्माण स्वीकृति की अवस्था में भू–पट्टी स्वामी द्वारा मण्डल द्वारा आवंटित फ्लेटों की संरचना में छेड़खानी / रद्दोबदल कर निर्मित फ्लेटों की सुरक्षा को खतरा / भू–उपयोग के परिवर्तन की सम्भावना है।

1– उक्त परिस्थितियों की सम्भवना को दृष्टिगत रखते हुए बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि फ्लेटों के पास उपलब्ध भू–पट्टी को बिना किसी निर्माण स्वीकृति के ही आवंटित किया जायेगा तथा आवंटित की जाने वाली भू–पट्टी को खाली रखना होगा तथा उक्त भूमि को पार्किंग / पेड़ पौधे लगाने के उपयोग में ही लिया जा सकेगा।

2– मण्डल द्वारा निर्मित दो/तीन मंजिले फ्लेटों के पास उपलब्ध भू–पट्टी को प्रथम/द्वितीय तल के आवंटी को भी उनकी सहमति उपरान्त भूतल पर उपलब्ध भू–पट्टी में से भूमि आवंटित की जा सकेगी।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक
सदस्य सचिव (पीएसी)

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता–(मु0)/प्रथम/द्वितीय/निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति0मु0अभि0–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज0आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. अति0 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त, वृत्त.........................राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
10. आवासीय अभियंता ...., राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
11. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
12. जनसम्पर्क अधिकारी, राज0आ0मण्डल, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सम्पदा प्रबंधक (मु.)